# न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ ( R.A.S.)

---

प्रकरण संख्या – 148/2022 प्रार्थना पत्र धारा 251ए

GCMS No. – 2022/334

1. मानमल पुत्र घीसालाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ राज0।
2. प्रहलाद पुत्र श्यामलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. बाबुलाल पुत्र मोहनलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. भेरुलाल पिता मांगीलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0।
5. अम्बालाल पिता भानीराम निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0।
6. कालुलाल पिता चुन्नीलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ राज0।
7. शांतिलाल पिता शंकरलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0।
8. प्रकाशसिंह पिता डाडमचंद निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पिता हेमराज निवासी जलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ राज0।
2. भेरुलाल पिता रामलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. मानसिंह पिता रामलाल निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. राहुल पिता अमरसिंह निवासी जलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ राज0।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. अणछी पुत्री हेमराज मीणा निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
7. कंचन पुत्री हेमराज मीणा निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
8. कस्तुरी पुत्री हेमराज मीणा निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

–विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955**

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4

**:: निर्णय ::** दिनांक :– 03.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी नम्बर 01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या [illegible] आराजी नम्बर 583, 689, 871/330, 872/411, 873/450, 874/569, 875/[illegible], 8[illegible]/688 कुल किता– 8 कुल रकबा 3.0500 हैक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर [illegible]2 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का [illegible] तहसील निम्बाहेडा [illegible] खाता संख्या 80 की आराजी नम्बर 3[illegible], 582, 877/[illegible], [illegible]8/411, 879/450, [illegible]80/569, 881/584, 882/688 कुल किता–9 कुल रकबा 3.9900 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 03 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 16 की आराजी नम्बर 827/348, 831/451, 832/687, 896/86 कुल किता–4 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर कुल लगानी 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:44:41 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.))

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

रूपये 92 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 139 की आराजी नम्बर 150, 151, 153, 154, 305, 534, 599, 612, 613, 614, 616, 1617, 652 कुल किता–13 कुल रकबा 10.5700 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 18 की आराजी नम्बर 340, 352, 353, 367, 458, 507, 640, 694, 782, 91 कुल किता–10 कुल रकबा 4.4100 हैक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 229 की आराजी नम्बर 252, 261, 664, 669, 670, 672, 673, 703 कुल किता–8 कुल रकबा 5.6900 हैक्टेयर कुल लगानी 78 रूपये 78 पैसा स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 08 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा जलिया पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 147 की आराजी नम्बर 337, 411, 450, 563, 565, 569, 584, 688,75,89 कुल किता–10 रकबा 4.0800 हैक्टेयर स्थित हैं।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का की आराजियात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो गांव जलिया से उत्तर से दक्षिण जा रहा हैं उक्त रास्ता कदिम से करीब 100 वर्ष से अधिक समय से प्रार्थीगण के बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा हैं प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर उक्त एक मात्र रास्ते से जो जलिया गांव से माल के खेतो की और जाता है जो 12 फीट चौडा होकर कदीम से चला आ रहा हैं उक्त रास्त में आगे जाकर विपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजी नम्बर 683 की पूर्वी मेड से तथा आराजी नम्बर 690 विपक्षी नम्बर 2 भेरुलाल की आराजी में से होकर कदिम से करीब 100 वर्ष से अधिक समय से प्रार्थीगण की आराजियात पर आता जाता चला आ रहा है जो करीब 12 फीट चौडा रास्ता जिससे कदीम से प्रार्थीगण एवं उनके बाप दादा अपनी आराजियात पर हल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि कृषि उपकरण लाते ले जाते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता 12 फीट चौडा रास्ता जिससे कदीम से प्रार्थीगण अपनी आराजियात पर जाने हेतु रास्ते की जमीन की कीमत डी0एल0सी0 रेट से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में उक्त राशि जमा की जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन कराने हेतु निवेदन किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद बाद तामिल मय वकील अनुपस्थित रहे, इसलिए विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1 ,3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी नं० 1 व 2 की आराजियात में होकर रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात में जाना अस्वीकार है, सही तो यह है कि आराजियात पर आने जाने का कदीमी पुराना रास्ता मोजा जलिया की आराजी नं0 944/482. 924/533, 981/787, 985/506, 527 528, 529, 570 से उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण में नीमच निम्बाहेडा हाईवे रास्ता है तथा इस रास्ते से यह रास्ता हाईवे से गाडी गडार के रूप में आराजी नंम्बर 510, 511 के मध्य होता हुआ पश्चिम से पूर्व की और जाता है तथा यह रास्ता पुनः आराजी नं0 528 से दक्षिण में तथा आराजी नंम्बर 907/711 के उत्तर में होता हुआ आराजी नं0 709 के मध्य भाग में पुनः आराजी नं0 708 व 709 के मध्य मुडकर दक्षिण की ओर जाता है, तथा आराजी न0 703 भैरूलाल पिता मांगीलाल जी की आराजियात से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजियात में जाता है। इसी रास्ते का उपयोग उपरोक्त प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज वर्षो से करते चले आ रहे हैं, तथा अब प्रार्थीगण नया रास्ता कायम कर विपक्षीगण की उपयोगी आराजियात को नुकसान पहुंचाना चाहते है। प्रार्थीगण की आराजी पर जाने जाने का पहले से ही कदीमी रास्ता मोजूद है, तथा प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मोके पर नया निर्मित करना चाहते है, वह रास्ता मोजूद ही नहीं है. इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:44:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मे से किसी प्रकार का रास्ता निकलवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नही है, प्रार्थीगण करीब 3 साल से भी अधिकार समय से नया रास्ता कायम करने में प्रयत्नरत है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य हैं। दिनांक 25.06.2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ । प्रार्थीगण अब सीधा नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई कानून हक व अधिकार नही है, तथा इसी प्रकार वाद सिविल न्यायालय निम्बाहेडा में जरेकार है, जिसमें भी प्रार्थीगण द्वारा विवादीत रास्ता मोके पर नहीं होने की मोका रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर पेश की जावेगी, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक रास्ता मोके पर मोजूद होने से खारीज किये जाने का आदेश सादीर फरमाया जावे।

4. तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट एवं न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि जिन खातेदारो की भूमि से रास्ता जायेगा उसमें अणछी पुत्री हेमराज,कन्चन पुत्री हेमराज, कस्तुरी पुत्री हेमराज भी खातेदारान होने से आवश्यक पक्षकार है। अतः अणछी पुत्री हेमराज विपक्षी संख्या 6 ,कन्चन पुत्री हेमराज विपक्षी संख्या 7, कस्तुरी पुत्री हेमराज विपक्षी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया एवं तथा ग्राम जलिया की आबादी से लेकर आराजी नंम्बर 545 के दक्षिणी सिरे तक रास्ता आवागमन हेतु चालु है। प्रार्थीगणों के कथनानुसार व संलग्न पर्चा मौका अनुसार पूर्व में रास्ता आ.नं. 683 व 685 की पूर्वी मेड के सहारे से 4 मीटर की चौड़ाई में आराजी नंम्बर 683 में 225 X 4 = 900 वर्गमीटर एवं आराजी नंम्बर 685 में 86 X 4 = 344 वर्गमीटर कुल रकबा 0.1244 हैक्टेयर में से होकर रास्ता गुजरता है। प्रार्थीगण की आराजियात पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व छोटा रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम जलिया की आराजी नंबर 683 एवं 685 रकबा कमशः 900 वर्गमीटर एवं 344वर्ग मीटर कुल 1244 वर्गमीटर जो कि खातेदारी भूमि में स्थित है, का रास्ते बाबत उपयोग करने पर शुल्क की गणना **1244** वर्ग मीटर X 238.44 डीएलसी प्रति वर्ग मीटर 2 गुणा के हिसाब से 593239/– अक्षरे पाँच लाख तिरानबे हज़ार दो सौ उनतालीस रू **भुगतान** हेतु प्रस्तावित किया गया है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2023 तारिख पेशी को जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया गया।

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

**धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना**–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:44:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

**68. Application under Sec. 251-A. -** An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

**69. Enquiry and disposal of application. -** On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

**70. Determination of compensation. -** (1 The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:44:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

8. दोनो पक्षो के अभिवचनों के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र,नजरी नक्शा नवशा, ग्राम जलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 की खाता संख्या 240, खाता संख्या 80, खाता संख्या 16, खाता संख्या 139, खाता संख्या 18, खाता संख्या 229, खाता संख्या 147, खाता संख्या 262 एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व छोटा रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में [illegible] की आराजी नंबर 683 एवं 685 रकबा कमशः 900 वर्गमीटर एवं 344 वर्ग मीटर [illegible] 124[illegible] वर्गमीटर जो कि खातेदारी भूमि में स्थित है, का रास्ते बाबत उपयो[illegible] शुल्क [illegible]ना 250 वर्ग मीटर X 238.44 डीएलसी प्रति वर्ग मीटर 2 गुणा के हिसाब से [illegible] पांच लाख तिरानबे हजार दो सौ उनतालीस रू भुगतान हेतु प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा आराजी नम्बर 683 व 685 की पूर्वी मेड के सहारे से 4 मीटर की चौड़ाई में आराजी नंम्बर 683 में 225 X 4 = 900 वर्गमीटर एवं आराजी नंम्बर 685 में 86 X 4 = 344 वर्गमीटर कुल रकबा 0.1244 हैक्टेयर में से होकर रास्ता प्रस्तावित भूमि रास्ते उपयोग में दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:44:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

**आदेश**

9. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अन्तर्गत प्रार्थीगण की आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत मौका जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम जलिया की आराजी नम्बर 683 व 685 की पूर्वी मेड के सहारे से 4 मीटर की चौड़ाई में आराजी नंबर 683 में 225 X 4 = 900 वर्गमीटर एवं आराजी नंम्बर 685 में 86 X 4 = 344 वर्गमीटर कुल रकबा 0.1244 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि संबंधित खातेदारों को वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की विपक्षी द्वारा क्षतिपूर्ति लेने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। क्षतिपूर्ति नहीं लेने की स्थिति में डिमांड राशि अपने पास जमा रखते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

| नाम ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टेयर) | नाम खातेदार | रास्ते का विवरण | 2 गुना राशि (डी0एल0सी अनुसार ) |
|---|---|---|---|---|---|
| जलिया | 683 | 0.6100 | श्री रामलाल पुत्र हेमराज मीणा सा0 देह खातेदार | 225X4 कुल 900 वर्गमीटर | 429192/– |
| | 685 | 0.1900 | श्री रामलाल पुत्र हेमराज मीणा 1/2 हिस्सा सा.देह खातेदार<br>अणछी पुत्री हेमराज मीणा 1/6 सा. देह खातेदार<br>कंचन पुत्री हेमराज मीणा 1/6 सा. देह खातेदार<br>कस्तूरी पुत्री हेमराज मीणा 1/6 सा. देह खातेदार | 86X4 कुल 344 वर्गमीटर | 164047/– |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:44:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को लिख[illegible] जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होक[illegible]हो।

3/10/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा